



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3432 / अका. / सम्बद्धता / 2017

रायपुर, दिनांक : 02 / 02 / 2017

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.01.2017 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2017 के निर्णयानुसार रामचण्डी महावि., बगईजोर, सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	50	2017-18

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
 - आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
 - एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश Recognition Order No. WRC/APP3265 (B.Ed.)/261/CG/2016/175555 Date - 04-11-2016 में उल्लेखित शर्तों का पालन करेंगे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अथवा सत्र 2017-18 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त करें।
 - जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
- उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उक्त विषय की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जावेगी।

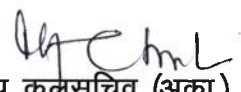

उप कुलसचिव (अका.)

पू. क्रमांक 3433 / अका. / सम्बद्धता / 2017

रायपुर, दिनांक : 02 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.) को मान्यता आदेश Recognition Order No. WRC/APP3265 (B.Ed.)/261/CG/2016/175555 Date - 04-11-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, शांती बाई कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.)
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

द्विवर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम (एक यूनिट - 50 छात्र संख्या) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता देने हेतु दिनांक 29.12.2016 के रामचण्डी महाविद्यालय, कड़ाईजौर, सरायपाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन भाग 'अ' में दी गई जानकारियों का सत्यापन किया गया। जानकारियाँ सही पायी गईं। महाविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम (50-सीट) के लिए विश्वविद्यालय एवं NCTE Regulation 2014 (परिशिष्ट-4) में दिए गए मापदण्डों के अनुरूप उचित व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय को द्विवर्षीय बी०एड० कोर्स (50-सीट के साथ) संचालित करने के लिये अस्थायी सम्बद्धता के लिए हेतु पात्र पाया गया।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

डॉ० बशीर हसन
प्रोफेसर मनोविज्ञान अशाठ

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

(Prof. Rajeev Choudhary)
Professor, SAS in Phy. Edu.
M. R. S. U., Raipur

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

दिनांक 4.1.17.

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

===